दिल्ली विकास प्राधिकरण
(चिकित्सा एकक)

संख्या एफ.7(23)2011-12/ एमसी/ एनएमएस/ 42 दिनांक 27.03.2012

विषय: डी ब्लाक, विकास सदन में वार्षिक अधिकतम राशि के अंतर्गत ओपीडी दावों की तत्काल प्रतिपूर्ति हेतु काउंटर शुरू करना।

कल्याणकारी उपाय के रूप में माननीय उपाध्यक्ष, डीडीए द्वारा दिनांक 02.04.2012 को डी ब्लाक, विकास सदन पर दोपहर 3.15 बजे एक काउंटर का उद्घाटन किया गया, जहां ओपीडी चिकित्सा दावों की तत्काल प्रतिपूर्ति की जाएगी। दावाधारकों को इस प्रयोजनार्थ विहित एक प्रपत्र भरना होगा, जो काउंटर पर उपलब्ध होगा और इसे डीडीए की वेबसाइट "dda.org.in" (News flash) "New medical scheme" अथवा "Finance-medical" से डाउनलोड भी किया जा सकता है। दावा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

i) दवाइयों के मूल कैश मीमो तथा उसकी जांच कर दी गई हो।
ii) दवाइयों और जांच के लिए डाक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों की प्रतियां।
iii) परामर्शदाता शुल्क के लिए मूल रसीद।
यदि प्रिस्क्रिप्शन शुल्क पर परामर्श शुल्क लिया है और अलग से रसीद जारी नहीं की गई है, तो परामर्श शुल्क की धनराशि का दावा करने के लिए मूल प्रिस्क्रिप्शन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
iv) चिकित्सा पहचान पत्र (पुरानी तथा नई) की प्रति।
v) चालू वर्ष के लिए चिकित्सा अंशदान की प्रति। यह पेशेनरों के लिए अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंने एक बारगी चिकित्सा अंशदान (10 वर्ष के लिए) का भुगतान किया हो तथा नए बायो-मीट्रिक पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी गई हो, जहां एकबारगी अंशदान की प्रविष्टि कर दी गई हो।

सभी से दिनांक 02.04.2012 को डी ब्लाक, रिसेप्शन हाल विकास सदन पर दोपहर 3.15 बजे उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने हेतु अनुरोध है।

ह/-
(मनीश कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी